न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 26/2018

1. फुलवती पुत्री इन्द्राज पि0मु0 हरचंद पत्नी स्व0 रामपत जाति नाई निवासी डोभी हाल निवास चक 1 N.G. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. केशर पुत्री इन्द्राज पुत्र पि0मु0 हरचंद पत्नी आदराम जाति नाई निवासी ढोभी हाल निवास गांव ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांटस

बनाम्

1. लिखमीचंद पुत्र इन्द्राज पि0मु0 हरचन्द जाति नाई निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र इन्द्राज पि0मु0 हरचन्द जाति नाई निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत डोभी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डोभी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश व नामान्तरकरण संख्या 147 द्वारा

सरपंच ग्राम पंचायत डोभी दिनांक 14.08.1988 –

उपस्थितिः– श्री राजपाल झोरड़, अधिवक्ता अपीलांट

श्री मांगीलाल देहड़ू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक : 19.03.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानूनं, न्याय, नियम व रूहेदाद मिसल व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ के पारित किये जाने के कारण काबिले खारिजी के है। आदेश जेर अपील अदालत मातहत लिगल, प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।
2. आदेश जेर अपील अदालत मातहत विदआउट ज्यूरिडिक्शन के व आरबिट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।
3. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवन्यु व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के रूल 119 से 21 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. भुमी जेर बहस अपील गांव डोभी बारानी अपीलान्टस के पिता स्व0 इन्द्राज पि0मु0 हरचन्द की ग्राम डोभी बारानी तहसील भादरा के मु0न0 176 के किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, मु0न0 177 के किला न0 24, 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर, मु0न0 190 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 16 व 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर, मु0न0 191 के किला न0 1, 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर जिसमें किला न0 9 की 0.126 हैक्टर, मु0न0 216 के किला न0 1 व 2 जिसमें गैरमुमकीन रास्ता 0.013 हैक्टर व बारानी प्रथम 0.240 हैक्टर, मु0न0 217 के किला न0 5 तादादी 0.253 हैक्टर कुल किता 23 कुल क्षेत्रफल 5.692 हैक्टर जिसमें 5.666 हैक्टर बारानी प्रथम व 0.026 हैक्टर गै0मु0 रास्ता है, का अकेला खातेदार काश्तकार अपीलान्टान व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का पिता इन्द्राज पि0मु0 हरचन्द कौमा नाई साकिन डोभी तहसील भादरा था जिसकी मृत्यु दिनांक 12.03.1988 को होने के पश्चात रेस्पोडेंट स0 1 व 2 व उनकी माता तुलछा ने सरपंच ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी से साज बाज करके दिनांक 14.08.1988 को अपने नाम से नामान्तरण स्वीकृत करवा लिया इसके पश्चात अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की माता तुलछा देवी का स्वर्गवास दिनांक 19.09.1996 को ग्राम डोभी में हो चुका है व उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 14.05.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत डोभी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम से बहिस्सा बराबर में स्वीकृत हो चुका है।

5. मृतक इन्द्राज के उसकी मृत्यु के पश्चात पांच जायज व कानूनी वारिसान मौजूद थे जिसमें दो उसके पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2, एक उसकी बेवा तुलछा व दो पृत्रियां अपीलान्टान संख्या 1 व 2 मौजूद थी। इस तथ्य को छुपाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण मृतक इन्द्राज के दो पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व उसकी माता तुलछा के नाम से स्वीकृत फरमाया दिया जो कि नामान्तरकरण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियिम की धारा 8 व आर.टी.एक्ट. की धारा 40 के मैन्डेन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण एवं इनिशियों नल एण्ड वॉयल है व कानूनी निरस्तनीय है।

6. अपीलान्टान मृतक इन्द्राज की सगी पुत्री होने के कारण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सगी बहने होने के कारण मुतनाजा भूमि में बहिस्सा बराबर की हकदार वारिस खातेदार काश्तकार है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

7. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टान के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई वारिन की जांच नही की गई व ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलांटान को नही दिया गया इसलिए बिना नोटिस के अपीलान्टान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 147 का ज्ञान नही हो सका व अपीलान्टान तो यही समझ कर चल रही थी कि पिता इन्द्राज व माता तुलछादेवी का स्वर्गवास होने के पश्चात मुतनाजा भूमि का नामान्तरकण अपने भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर में दर्ज होकर चल रहा है मगर अब अपीलान्टान अपने हिस्से की खातेदार कृषि भूमि की केसीसी बनवाने के लिए हल्का पटवारी डोभी के पास अपने नाम की जमाबन्दी की नकल लेने गई तब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि आपके नाम कोई खातेदारी कृषि भूमि ग्रमा डोभी में नही है, आपके पिता इन्द्राज की भूमि तो वर्तमन में उसके दोनो पुत्रों लिखमीचंद व मोहनलाल रेस्पोडेंटान स0 1 व 2 के नाम चल रही है व आपके पिता की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल आपके दोनो भाईयों व आपकी माता के नाम स्वीकृत हो गया था इस पर दिनांक 13.07.2017 को अपीलान्टान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 147 की नकल की दरख्वास्त को प्रस्तुत की व तैयारी नकल उसी दिनांक को मिल गई इस प्रकार अपील इल्म की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। वैसे भी बिना नोटिस के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वॉयड है व ऑयड आदेश पर मियाद की कोइ बार लागू नही होती है। आदेश के इल्म की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व मियाद कन्डोनेशन केक लिए दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाइ जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व नामान्तरकरण आदेश निरस्त फरमाया जावें व अवीलान्टान व रेस्पोडेन्ट स0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर में मुतनाजा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय को फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री खेताराम कस्वां एवं मांगीलाल देहडू द्वारा आज वकालतनामा पेश कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सहमति होना बताया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल स0 147 खारिज किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)